वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 11.07.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, जनसंदेश टाइम्स, आज, जनवार्ता, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश, तरुणमित्र न्यूज़," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 11.07.2024

अवैध प्लाटिंग की तोड़ी बाउंड्री, छह सील

जागरण संवाददाता, वाराणसी : अवैध निर्माण और जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने बुधवार को विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग फिर क्षेत्र में निकले। दशाश्वमेध वार्ड के रोहनिया में अवैध निर्माण देख हैरान हो गए। चारों तरफ अवैध निर्माण और प्लाटिंग दिखाई दे रही थी। उपाध्यक्ष के पूछने पर जोनल अधिकारी, अवर अभियंता और कर्मचारियों के पास कोई जवाब नहीं था। उपाध्यक्ष के सामने सभी बहानेबाजी करने के साथ एक-दूसरे का चेहरा देख रहे थे। उपाध्यक्ष ने क्षेत्र में 10 बीघा अवैध प्लाटिंग की बाउंड्री तोड़वाने के साथ छह निर्माणाधीन भवन सील करवाया।

रोहनिया क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग की बाउंड्री को तोड़ता बुलडोजर • जागरण

उपाध्यक्ष ने बताया कि दरेखू में आलोक कुमार बिना ले-आउट स्वीकृत कराए करीब 10 बीघा पर अवैध प्लाटिंग कर रहा था। बाउंड्री संग सड़क के लिए जोड़े गए बाही को तोड़ दिया गया। गंगापुर रोड पर गणेश दो मंजिल, सौरभ पटेल बेसमेंट और ग्राउंड, गुलाब चंद्र बेसमेंट, ग्राउंड और एक मंजिल, राम लखन बेसमेंट, ग्राउंड और एक मंजिल, प्रदीप पटेल बेसमेंट, ग्राउंड और एक मंजिल, धीरेंद्र पटेल भूतल पर निर्माण कर रहे थे। सभी भवनों को सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। रामनगर वार्ड के मुगलसराय स्थित मन्नापुर व गोविंदपुर में 12 बीघा में अवैध प्लाटिंग की बाउंड्री को तोड़ दिया गया। रामनगर वार्ड भीटी में राधिका सिंह, अनीता सिंह, दिव्या सिंह, ऋचा सिंह के अवैध निर्माण को सील कर दिया गया। सिकरौल वार्ड के अवर अभियंता अतुल मिश्रा ने बताया कि नदेसर में सुल्तान कुरैशी के अवैध निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

अमर उजाला–दि0 11.07.2024

एक एफआईआर, 28 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

वीडीए उपाध्यक्ष और सचिव की अगुवाई में अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। वीडीए की ओर से बुधवार को अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। नगवां वार्ड के रोहनिया बच्छाव औढ़े में राजू गुप्ता, पारस गुप्ता, मुनाऊ चौधरी, दीपू पटेल, सर्वेश तिवारी की ओर से 6 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग और वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अगुवाई में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त कर एफआईआर दर्ज कराई गई। कुल 8 लोगों के 28 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। 13 अवैध निर्माणों को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया।

मुगलसराय में मन्नापुर, गोविंदपुर में 12 बीघे में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त करवाई गई। दशाश्वमेध वार्ड के दरेखू में 10 बीघे में आलोक कुमार बगैर नक्शा पास कराए अवैध प्लॉटिंग कर रहे थे। इसे ध्वस्त कराया गया। गंगानगर रोड पर बिना मानचित्र स्वीकृत हो रहे निर्माण को सील करने का आदेश दिया। साथ ही 6 अवैध निर्माणों को सील किया गया। इनमें गणेश, सौरभ पटेल, गुलाब चंद्र, राम लखन, प्रदीप पटेल, धीरेंद्र पटेल के निर्माण थे। अवलेशपुर में गौतम नगर मोड़ के पास भागीरथ जालान की ओर से मानचित्र के विपरीत रोड वाइडनिंग को प्रभावित कर अवैध निर्माण कराया जा रहा था। जिसे सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया।

बच्छाव में सील अवैध निर्माण। स्वयं

रामनगर की राधिका सिंह, अनीता सिंह, दिव्या सिंह, ऋचा सिंह की ओर से अवैध निर्माण किया जा रहा था। जिसे सील किया गया। नेहा चौरसिया की ओर से सुल्तानपुर में अवैध निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। नदेसर में सुल्तान कुरैशी की ओर से अवैध निर्माण किया जा रहा था। नोटिस देने के बाद भी निर्माण कराने पर सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

राष्ट्रीय सहारा–दि0 11.07.2024

वीडीए ने कई बीघा अवैध प्लाटिंग पर चलाया बुलडोजर

वाराणसी (एसएनबी)। उपाध्यक्ष की मौजूदगी में वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने बुधवार को 10 बीघे पर चल रहे अवैध प्लाटिंग पर ध्वस्तीकरण एवं आधा दर्जन अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की। दशाश्वमेध वार्ड के ग्राम टेरखू में आलोक कुमार बिना ले-आउट स्वीकृत कराये लगभग 10 बीघा पर अवैध प्लाटिंग विकसित कर रहे थे उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग को वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की उपस्थिति में प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त कर दिया गया एवं गंगानगर रोड पर विकसित की जा रही अन्य अवैध प्लाटिंग का निरीक्षण किया गया तथा जोनल अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किए जा रहे निर्माण

को सील करने के भी आदेश दिए गए। वीडीए उपाध्यक्ष के आदेशानुसार तत्काल प्रभाव से थाना रोहनिया के अंतर्गत आने वाले गंगापुर रोड पर कुल आधा दर्जन अवैध निर्माणों, गणेश पुत्र बेचैन लाल का निर्माण, सौरभ पटेल का निर्माण, गुलाब चंद्र निर्माण, राम लखन का निर्माण, प्रदीप पटेल का निर्माण, धीरेंद्र पटेल के निर्माण स्थल को सील किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति, अवर अभियंता अशोक त्यागी व प्रवर्तन दल सहित समस्त

दर्जनभर अवैध निर्माणों को किया गया सील

सुपरवाइजर एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

मुगलसराय व रामनगर में किया ध्वस्तीकरण व सील : रामनगर, थाना-मुगलसराय के अंतर्गत अज्ञात प्लाटिंगकर्ता द्वारा मौजा-मन्नापुर/ गोविंदपुर, जिला-चंदौली में लगभग 12 बीघा, में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उक्त अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध वाराणसी विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार के नेतृत्व में जोन-5 के अवर अभियंता पीएन दूबे व प्रवर्तन दल तथा पुलिस बल की उपस्थिति में ध्वस्तीकरण का कार्य सम्पन्न कराया गया। वार्ड रामनगर, मौजा-भीटी, थाना-रामनगर के अंतर्गत राधिका सिंह पत्नी जयशंकर सिंह, अनीता सिंह पत्नी जटाशंकर सिंह, दिव्या सिंह पत्नी विकास सिंह, ऋचा सिंह पत्नी मनीष कुमार सिंह द्वारा किये गये अवैध निर्माण को सील किया गया। इसके अतिरिक्त नेहा चौरसिया पत्नी संतोष चौरसिया, मौजा-सुल्तानपुर द्वारा अनिधकृत निर्माण के विरुद्ध सील की कार्रवाई की गई।

सिकरौल व नगवां वार्ड में हुई ध्वस्तीकरण व सील की कार्रवाई : सिकरौल वार्ड में सुलतान कुरैशी के अनधिकृत निर्माण कार्य करने पर वीडीए ने निर्माण स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया। इसी प्रकार नगवां वार्ड थाना-रोहनिया, बच्छाव, औढ़े के अंतर्गत बिना ले-आउट मानचित्र स्वीकृत कराये राजू गुप्ता, पारस गुप्ता, मुन्ना चौबे, टीपू पटेल, सर्वेश तिवारी व अन्य द्वारा लगभग आधा दर्जन बीघा पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग पर प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। साथ ही एफआईआर दर्ज किया गया। नगवां वार्ड के भागीरथ जालान द्वारा चितईपुर चुनार रोड, अवलेशपुर, गौतम नगर मोड़ से 50 मीटर आगे स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध रोड वाइडनिंग को प्रभावित करते हुए बेसमेंट में सटरिंग का कार्य किये जाने पर सम्पूर्ण अनधिकृत निर्माण को सील करते हुए पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

जनसंदेश टाइम्स–दि0 11.07.2024

वीडीए ने छह भवनों को किया सील

सख्ती

एक निर्माण गिराया, उपाध्यक्ष की उपस्थिति में भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही

वाराणसी। अवैध निर्माण को लेकर इन दिनों वीडीए काफी सख्त है। अभियान चलाकर जहां जांच कर रही है ,वहीं अवैध भवनों का सील और ध्वस्तीकरण की सख्त कारवाई भी कर रही है। इसको लेकर वीडीए की टीम 6 जगहों पर हो रहे अवैध भवनो को सील किया और एक जगह ध्स्तीकरण की सख्त कारवाई भी की। इसको लेकर वीडीए जोन 3 की प्रवंतन टीम बुधवार को दशाश्वमेध वार्ड में अचानक पहुंचा । जहां आलोक कुमार द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराये लगभग 10 बीघा पर अवैध प्लाटिंग विकसित किये जाने को देखा। इस दौरान वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की उपस्थिति और भारी पुलिस फोर्स की मौजुदगी के साथ बूलडोजर को देख अफरातफरी मच गयी।इस दौरानवीडीए की प्रवर्तन टीम ने जहां निर्माण कार्य को रोकवाया ,वहीं तत्काल पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की सख्त कारवाई भी की । इसी क्रम में गंगानगर रोड पर बूलडोजर के घुमने पर लोगो की भारी भीड़ लग गयी। । वीडीए की टीम ने वहां विकसित की जा रही अन्य अवैध प्लाटिंग का औचक निरीक्षण किया और पूछताछ की । इस दौरान वीडीए उपाध्यक्ष ने जोनल अधिकारी से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये ही निर्माण कार्य होने पर जहां नाराजगी जाहिर की, वहीं इसे सील करने का आदेश भी दिया। इसको लेकर वीडीए की टीम अचानक रोहनिया क्षेत्र में पहुंचा। जहां गंगापुर रोड पर कुल 06 अवैध निमार्णों को देखा। इस दौरान टीम को देखते ही लोगों में हडकंप मच गया । टीम ने वहां गणेश पुत्र बेचैन लाल , सौरभ पटेल, गुलाब चंद्र ,राम लखन, प्रदीप पटेल और धीरेंद्र पटेल द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण पर जबाब मांगा तो निर्माणकर्त्ता अगली - बगली झाकने लगे। इस दौरान टीम ने कड़ा एक्शन लेते हुए सभी निर्माण को सील कर सख्त कारवाई की ।

आज–दि0 11.07.2024

आधा दर्जन भवन सील, प्लाटिंग पर चली जेसीबी

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर बुधवार को भी बिना ले-आउट के प्लाटिंग और बिना मानचित्र के स्वीकृति के निर्माण कार्य के विरुद्ध सघन अभियान जारी रहा। दशाश्वमेध ग्राम के अंतर्गत दरेखू में दस बिग्घा जमीन पर प्लाटिंग की जा रही थी, जिसको विप्रा उपाध्यक्ष की मौजूदगी में प्लाट पर हुये निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। आश्चर्य की बात यह है कि यह प्लाटिंग गंगा नगर रोड पर विकसित किया जा रहा था। इसके लिए जोनल अधिकारी को आवश्यक कार्य करने का भी निर्देश दिया गया है। वहां पर मौजूद क्षेत्रीय लोगों को यह चेतावनी दी गयी कि बिना मानचित्र स्वीकार्य के निर्माण कार्य कराने पर सख्त कारवाई की जायेगी। इसी प्रकार रोहनिया के गंगापुर रोड पर कुल छह अवैध निर्माण जिसमें बेचन लाल, सौरभ पटेल, गुलाब चंद, रामलखन, रामलखन, प्रदीप पटेल, प्रदीप पटेल, धरिंद्र पटेल एस १७/३८७ नदेसर के सुल्तान कुरैशी के भवन निर्माण कार्य को सील कर दिया गया और निकटम थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया गया। कारवाई के दौरान क्षेत्रीय पुलिस, अभियंता सौरभ देव प्रजापति, अशोक त्यागी एवं प्रवर्तन दल के सुपरवाइजर, विकास प्राधिकरण रक्षक शामिल थे। इसी क्रम में मुगलसराय के अंतर्गत मन्नापुर गोविंदपुरा जिला चंदौली में १२ बीघा जमीन पर प्लाटिंग की जा रही थी जिसे ध्वस्त करा दिया गया। मौके पर जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियंता पीएन दुबे, प्रवर्तन दल शामिल थे। रामनगर मौजा-भीटी, काश्तकार ने बिना ले आउट स्वीकृत कराये हुये निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा निर्माण कार्य के लिये मानचित्र भी स्वीकृत नहीं करायी गयी थी। शिकायत के आधार पर मौके पर पहुंचे अभियंताओं ने निर्माण कार्य को रोकने के बाद भवन को सिल कर दिया। निकटम थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया गया। कारवाई में जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अभियंता पीएन दूबे सहित स्थानीय पुलिस, प्रवर्तन दल शामिल थे।

जनवार्ता–दि0 11.07.2024

वीडीए: सील, ध्वस्तीकरण और एफआईआर से मचा हड़कंप

वीडीए के अभियान से अवैध रूप से भवन निर्माण और प्लाटिंग करने वाले सहमे

वाराणसी (जनवार्ता)। विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान और तेज हो गया है। बुधवार को कई जोन की टीम अपने क्षेत्र में बिना नक्शा पास प्लाटिंग करने वाले कॉलोनाइजरों और बिल्डरों के साइट पर जा धमकी तथा ध्वस्तीकरण और सील करने की कार्रवाई की गई।

नगवाँ थाना-रोहनिया, बच्छाव, औढ़े के अन्तर्गत बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये राजू गुप्ता, पारस गुप्ता मुनाऊ चौधरी, दीपू पटेल, सर्वेश तिवारी व अन्य द्वारा लगभग 6 बीघा पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। अवैध प्लाटिंग पर प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी गयी तथा एफआईआर दर्ज कराया गया।

बुधवार को वीडीए प्रवर्तन दल अवैध निर्माण को सील करता तथा अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करती जेसीबी।

चितईपुर चुनार रोड, अवलेशपुर, गौतम नगर मोड़ से 50 मीटर आगे स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध रोड वाइडनिंग को प्रभावित करते हुए लगभग 40 गुणे 80 वर्गफीट के क्षेत्रफल में बेसमेन्ट फ्लोर के सटरिंग का कार्य किये जाने पर सम्पूर्ण अनधिकृत निर्माण को सील करते हुए पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। इस अवसर पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियंता आर के सिंह व अजय कुमार जैन मौजूद रहे।

जोन-3 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध 10 बीघे का ध्वस्तीकरण एवं 6 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड दशाश्वमेध ग्राम दरेखू में आलोक कुमार द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराये लगभग 10 बीघा पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। अवैध प्लाटिंग को उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की उपस्थिति में प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी गयी एवं गंगानगर रोड पर विकसित की जा रही अन्य अवैध प्लाटिंग का निरीक्षण किया गया। तत्काल प्रभाव से थाना रोहनिया के अंतर्गत आने वाले गंगापुर रोड पर गणेश पुत्र बेचन लाल, सौरभ पटेल, गुलाब चंद्र, राम लखन, प्रदीप पटेल, धरिंद्र पटेल के अवैध निर्माणों को सील किया गया। इस दौरान मौके पर जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति, अवर अभियन्ता अशोक त्यागी और प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 11.07.2024

विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-3 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध 10 बीघे का ध्वस्तीकरण एवं 6 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी। प्राधिकरण क्षेत्र के वार्ड- दशाश्वमेध ग्राम दरेखू में आलोक कुमार द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराये लगभग 10 बीघा पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी द्य उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग को आज 10 जुलाई 2024 को उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग की उपस्थिति में प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी गयी एवं गंगानगर रोड पर विकसित की जा रही अन्य अवैध प्लाटिंग का निरीक्षण किया गया तथा जोनल अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश दिए साथ ही बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किए जा रहे निर्माण को सील करने के भी आदेश दिए गए द्यउपाध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से थाना रोहनिया के अंतर्गत आने वाले गंगापुर रोड पर कुल 06 अवैध निर्माणों, गणेश पुत्र बेचैन लाल का G+1 निर्माण सौरभ पटेल का B+G निर्माण, गुलाब चंद्र का B,+G +1 निर्माण ,राम लखन का B,+G +1 निर्माण, राम लखन का B,+G +1 निर्माण, प्रदीप पटेल का B,+G+1 निर्माण, प्रदीप पटेल का B,+G+1 निर्माण, धीरेंद्र पटेल (भूतल पर निर्माण)को सील किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति, अवर अभियन्ता श्री अशोक त्यागी व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष ने आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले0आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 11.07.2024

अवैध निर्माण के विरूद्ध 10 बीघे का ध्वस्तीकरण एवं 6 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा की उपस्थिति में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-3 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध 10 बीघे का ध्वस्तीकरण एवं 6 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इस क्रम मे प्राधिकरण क्षेत्र के वार्ड- दशाश्वमेध ग्राम दरेखू में आलोक कुमार द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराये लगभग 10 बीघा पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी । उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग को आज 10 जुलाई 2024 को उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग की उपस्थिति में प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी गयी एवं गंगानगर रोड पर विकसित की जा रही अन्य अवैध प्लाटिंग का निरीक्षण किया गया तथा जोनल अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश दिए साथ ही बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किए जा रहे निर्माण को सील करने के भी आदेश दिए गए ।उपाध्यक्ष के आदेशानुसार तत्काल प्रभाव से थाना रोहनिया के अंतर्गत आने वाले गंगापुर रोड पर कुल 06 अवैध निर्माणों, गणेश पुत्र बेचैन लाल का ज1 निर्माण सौरभ पटेल का B+G निर्माण, गुलाब चंद्र का B,+G +1 निर्माण ,राम लखन का B,+G +1 निर्माण, राम लखन का B,+G +1 निर्माण, प्रदीप पटेल का B,+G+1 निर्माण, प्रदीप पटेल B,+G+1 निर्माण, धीरेंद्र पटेल (भूतल पर निर्माण)को सील किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति, अवर अभियन्ता श्री अशोक त्यागी व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

न्यायाधीश–दि0 11.07.2024

वाविप्रा ने किया ध्वस्तीकरण एवं सील की कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण एवं सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इस क्रम में प्राधिकरण क्षेत्र के वार्ड-नगवाँ थाना-रोहनिया, बच्छाव, औढ़े के अन्तर्गत बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये राजू गुप्ता,पारस गुप्ता मुनाऊ चौधरी, दीपू पटेल,सर्वेश तिवारी व अन्य द्वारा लगभग 06 बीघा छेत्रफल पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग पर आज 10 जुलाई 2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी गयी तथा विकासकर्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया।उपरोक्त ध्वस्तीकरण के अतिरिक्त वार्ड- नगवां भागीरथ जालान द्वारा चितईपुर चुनार रोड, अवलेशपुर, गौतम नगर मोड़ से 50 मीटर आगे स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध रोड वाइडनिंग को प्रभावित करते हुए लगभग 4080 वर्गफीट के क्षेत्रफल में बेसमेन्ट फ्लोर के सटरिंग का कार्य किये जाने पर सम्पूर्ण अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28(ग) व 28 (ग) के अन्तर्गत उक्त निर्माण को सील करते हुए पुलिस अभिरक्षा में सतत निगरानी हेतु सौंप दिया गया है।जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी अवर अभियंता श्री आर0 के0 सिंह0 व श्री अजय कुमार जैन मौजूद रहे।

न्यायाधीश–दि0 11.07.2024

अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण एवं सील की कार्यवाही की गई

वाराणसी। वाविप्रा उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-5 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण एवं सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इस क्रम में प्राधिकरण क्षेत्र के वार्ड-रामनगर, थाना-मुगलसराय के अन्तर्गत अज्ञात प्लाटिंगकर्ता द्वारा मौजा-मननपुर / गोविन्दपुर, जिला-चन्दौली में लगभग 12 बीघा, में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी।उक्त अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध आज दिनांक 10.07.2024 को वाराणसी विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार के नेतृत्व में जोन-5 के अवर अभियन्ता श्री पी0एन0 दूबे व प्रवर्तन दल तथा पुलिस बल की उपस्थिति में ध्वस्तीकरण का कार्य सम्पन्न कराया गया।वार्ड- रामनगर,मौजा-भीटी, थाना-रामनगर के अन्तर्गत राधिका सिंह पत्नी जयशंकर सिंह, अनीता सिंह पत्नी जटाशंकर सिंह, दिव्या सिंह पत्नी विकास सिंह, ऋचा सिंह पत्नी मनीष कुमार सिंह द्वारा अवैध निर्माण को सील किया गया इसके अतिरिक्त नेहा चौरसिया पत्नी श्री संतोष चौरसिया, आराजी संख्या-654, मौजा-सुल्तानपुर द्वारा लगभग 60*40' माप में भूतल पर शटरिंग का कार्य किये जाने पर अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28(ग) व 28 (ग) के अन्तर्गत उक्त निर्माण को सील करते हुए पुलिस अभिरक्षा में सतत निगरानी हेतु सौंप दिया गया है।मौके पर जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार अवर भियन्ता पी0 एन0 दुबे मौजूद रहे।

न्यायाधीश–दि0 11.07.2024

वविप्रा ने किया सीलबन्दी

वाराणसी।उपाध्यक्ष वविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इस क्रम मेंवाई-सिकरौल के अन्तर्गत सुलतान कुरेशी द्वारा भवन संख्या ए 17/387, नदेसर वाई-सिकरौल जिला वाराणसी में अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27 एवं

28 के अन्तर्गत दिनांक 20.04.22 को क्रमशः कारण बताओ एवं निर्माण कार्य बन्द करने की नोटिस दी गई थी। उक्त के बावजूद पक्ष द्वारा लगातार निर्माण कार्य जारी रखने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27, 28(1) व 28(2) के अन्तर्गत10.जुलाई को स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत निगरानी रखने हेतु सौंप दिया गया है।जोनल अधिकारी श्री सिंह गौरव जय प्रकाश ,अवर अभियन्ता अतुल मिश्रा, मौजूद रहे।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 11.07.2024

वीडीए वीसी पुलकित गर्ग ने निरीक्षण के दौरान छह अवैध निर्माण कराया सील और ध्वस्त

निरीक्षण के दौरान अवैध निर्माणों को ध्वस्त व सील कराते वीडीए वीसी पुलकित गर्ग

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की मौजूदगी में बुधवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-3 की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरूद्ध 10 बीघे का ध्वस्तीकरण एवं 6 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही को अंजाम दिया प्राधिकरण क्षेत्र के वार्ड- दशाश्वमेध ग्राम दरेखू में आलोक कुमार द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराये लगभग 10 बीघा पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी।

उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग को उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की उपस्थिति में प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी गयी। इसके साथ ही गंगानगर रोड पर विकसित की जा रही अन्य अवैध प्लाटिंग का निरीक्षण किया तथा जोनल अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश दिए साथ ही बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किए जा रहे निर्माण को सील करने के भी आदेश दिए गए। उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के आदेशानुसार तत्काल प्रभाव से थाना रोहनिया के अंतर्गत आने वाले गंगापुर रोड पर कुल 06 अवैध निर्माणों, गणेश पुत्र बेचैन लाल का G+1 निर्माण सौरभ पटेल का B+G निर्माण, गुलाब चंद्र का B+G+1 निर्माण ,राम लखन का B+G+1 निर्माण, राम लखन का B+G+1 निर्माण, प्रदीप पटेल का B+G+1 निर्माण, प्रदीप पटेल का B+G+1 निर्माण, धीरेंद्र पटेल (भूतल पर निर्माण)को सील किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति, अवर अभियन्ता अशोक त्यागी व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।